

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14 () Water 2022 / एफसीए / प्रमुखसं. / 5670-71

दिनांक 18.04.2023

मुख्य वन संरक्षक,
(वन्यजीव) उदयपुर/उदयपुर।

विषय:- Diversion of 2.1137 ha. Udaipur WL 0.8586+1.2511 Udaipur South forest land in favour of PHED Udaipur for AUGMENTATION OF PRODUCTION FROM JAISAMAND LAKE, FOR UWSS UDAIPUR INCLUDING UPGRADATION OF THE EXISTING PIPELINE OF 600 MM DIAMETER TO NEW PIPELINE OF 900 MM DIA FROM JAISAMAND LAKE TO UDAIPUR (Proposal No. FP/RJ/Water/151001/2022)

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), उदयपुर का पत्रांक 820 दिनांक 23.03.2023

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएँ / स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित है:-

1. यूजर ऐजेन्सी द्वारा KML file में वन/अभयारण्य सीमा एवं मंडलवाइज अपलोड नहीं की गयी है। उदयपुर वन्यजीव जिसमें तीन पैच बनाये गये हैं उनका क्षेत्रफल 0.8577 है (GSS-898, Pipeline-0.1767 and High tension line-0.5912) जो कि आवेदित वन क्षेत्र 0.8586 है 0 से कम है।
2. प्रस्ताव में संलग्न DGPS map में कानर्स पाइंट के कोर्डिनेट्स एवं चेनऐज अंकित नहीं किया गया है।
3. यूजर ऐजेन्सी द्वारा वैकल्पिक मार्ग नहीं होने का कोई ठोस कारण नहीं दिया गया है।
4. प्रस्ताव में झील से पानी लिया जा रहा है एवं अभयारण्य क्षेत्र में जी0एस0एस0 एवं अन्य कार्य भी किये जाने हैं ऐसी स्थिति में यूजर ऐजेन्सी द्वारा वन्यजीव क्षेत्र में अभी आवेदन भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वन्यजीव स्वीकृति भी आवश्यक है।
5. प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण हेतु जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम मामादेव तहसील कुरावड में 1.9637 है 0 एवं विकास नगर तहसील खेरवाडा में 0.15 है 0 भूमि आबंटित की गयी है। जबकि पूर्व में 2.1137 है 0 मामादेव में आबंटित की गयी है उक्त भूमि को एक स्थान पर नहीं लिये जाने के कारण स्पष्ट किया जावे।
6. प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न नहीं है।
7. पाइप लाइन कितने मि0मी0 की पानी की पाइप लाइन डाली जानी है स्पष्ट नहीं है एवं इसके कास सेक्शन संलग्न नहीं है।
8. प्रस्ताव में संलग्न दस्तावेजो अनुसार 33 KV Transmission Line डाली जानी प्रस्तावित है इस हेतु ROW 7 मीटर लिया गया है जबकि 15 मीटर लिया जाना प्रस्तावित है।
9. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति संलग्न नहीं की गयी है।
10. एरिया केलकुलेशन शीट में अभयारण्य क्षेत्र में वन/गैर वन भूमि का विवरण स्पष्ट नहीं किया गया है।
11. बार चार्ट में चेनऐज अंकित नहीं किये गये हैं।
12. क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण में प्राप्त भूमि के DGPS map में वन सीमा इत्यादि का विवरण नहीं है। उक्त भूमि वन सीमा से काफी दूर है।
13. DCF WL Udaipur द्वारा कोई वृक्ष प्रस्तावित क्षेत्र में आना नहीं दर्शाया गया है। जबकि संलग्न डिजिटल मानचित्र में वृक्षों का आना दिख रहा है। इसमें कितने वृक्षों का पातन किया जावेगा एवं कितने वृक्ष छगाई किये जावेगें, स्पष्ट किया जाना है।
14. DCF WL Udaipur द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 5 में प्रस्तावित क्षेत्र के वन्यजीव प्रबंधन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र अभयारण्य के बफर एवं इको संसेन्सिटिव क्षेत्र में आना दर्शाया गया है जबकि उक्त प्रस्तावित क्षेत्र अभयारण्य के अंदर स्थित है।
15. DCF WL Udaipur द्वारा पार्ट II में एन0पी0वी0 गणना, प्रभावित वन भूमि के गजट नोटिफिकेशन की प्रति आदि संलग्न नहीं की गयी है।

16. CCF Udaipur द्वारा पार्ट III में 2.1125 है0 वन भूमि की अनुशंषा की गयी है। जबकि उनका प्रभावित वन क्षेत्र 1.2551 है0 है।
17. CCF WL Udaipur द्वारा पार्ट III में कितनी वनभूमि हेतु प्रस्ताव अग्रेषित किया गया है अंकित नहीं है।
उक्त आक्षेप सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14()2022/एफसीए/प्रमुवसं./5672-74 दिनांक 18.04.2023

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. उप वन संरक्षक, उदयपुर/उदयपुर वन्यजीव।
2. अधिशासी अभियंता, प्रोजेक्ट डिविजन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सूरजपोल पुलिस थाने के पास उदयपुर।

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर